

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवार्ये राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/(परिवीक्षा-1)/2018/

दिनांक :

आदेश

निम्नलिखित कनिष्ठ सहायक को उनके परिवीक्षा अवधि सन्तोषप्रद पूर्ण करने के फलस्वरूप राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 के तहत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 14(1)एफ.डी/(रूल्स)2013-II दिनांक 28.06.13 की अनुपालना में दो वर्ष की परिवीक्षाकाल पूर्ण तिथि से 8080 (5200-20200 रनिंग पै व ग्रेड पै 2400) से उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार वेतन नियतन किया जाता है।

क.स.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान	प्रथम नियुक्ति तिथि	2 वर्ष पश्चात परिवीक्षा पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि	कम्प्यूटर योग्यता आरएससी आईटी प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण तिथि
1	श्री आमिर खान	सामु. स्वा. केन्द्र, राजाखेडा, धौलपुर।	05.08.2014	05.08.2016	11.06.2013
2	श्री राकेश कुमार	एस.आर. गोयल, राजकीय अस्पताल, सेटी कॉलोनी, जयपुर।	20.07.2015	20.07.2017	06.07.2017
3	श्री नृसिंह शरण शर्मा	खण्ड मुख्य चिकि. अधिकारी, शाहपुरा, जयपुर-I	12.03.2012	12.03.2014	04.04.2011

नोट:-उक्त कर्मचारियों को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण तिथि से वार्षिक वेतन वृद्धि का नकद लाभ देय होगा।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये
राज0 जयपुर

दिनांक : 01/02/18

क्रमांक :- ई-18/एम/(परिवीक्षा-1)/2018/252

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर/जयपुर-प्रथम।
2. चिकित्सा अधीक्षक, एस.आर. गोयल, राजकीय अस्पताल, सेटी कॉलोनी, जयपुर।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहपुरा, जयपुर-प्रथम।
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामु. स्वा. केन्द्र, राजाखेडा, धौलपुर।
5. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये
राज0 जयपुर